

बजरंग लाल बनाम रमेश कुमार, अपील संख्या  
2015/00304/225आर.टी.एक्ट, आदेश दिनांक 29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट उपस्थित। अपील से सम्बन्धित वाद पत्र जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था का अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम निस्तारण हो गया एवं उसकी विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई हैं। चूंकि यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई, जो सारहीन हो चुकी हैं। इसलिए खारिज की जावें।

अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र का निस्तारण हो चुका हैं और अपील सारहीन हो चुकी हैं।

अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।